

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं. 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

Head Office : Plot No. 5, Institutional Area,
Sector - 32, Gurugram-122001

HO/MBD/2019

16.01.2019

Scrip Code: ORIENTBANK	Scrip Code: 500315
The Executive Director, National Stock Exchange of India Ltd. , Exchange Plaza, 5 th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	General Manager, Dept. of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Limited , Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001

Dear Sir,

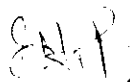
Reg: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank

This is to inform that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on Thursday, 07th February, 2019 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi -110016 to consider the business as detailed in the Notice of EGM. A copy of the Notice of the EGM is enclosed.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Bank has provided its shareholders the facility to exercise voting rights by electronic means through remote e-Voting Services provided by NSDL (www.evoting.nsdl.com) from 04th February, 2019 (9:00 a.m.) to 06th February, 2019 (5:00 p.m.), both days inclusive. The cut - off date for determining the rights of the shareholders for participation in e-voting / voting at the EGM is 31st January 2019.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,


Company Secretary
Encl: as above



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स ORIENTAL BANK OF COMMERCE

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi - 110001

Corporate Office: Plot No. 5, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001

बैंक की असाधारण आम बैठक की सूचना Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank

गुरुवार 07 फरवरी 2019, नई दिल्ली

Thursday, 07th February 2019, New Delhi

स्थान:

पी एच डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री,
पी एच डी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

Venue:

PHD Chamber of Commerce and Industry,
PHD House, 4/2, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, New Delhi - 110016



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

असाधारण आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर और बैठकें) विनियम 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक गुरुवार दिनांक 07 फरवरी, 2019 को प्रातः 10.00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110016 में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित पर विचार करने और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :-

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से “अधिनियम” कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (अब से “योजना” कहा जाएगा) के साथ पठित, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (अब से “ओबीसी विनियम” कहा जाएगा), उसके किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/ परिपत्र/अधिनियमों/दिशा निर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी एवं/अथवा इस संबंध में यथावश्यक अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन, तथा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसे नियम, शर्तों तथा उनमें संशोधनों के अध्यक्षीन तथा जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, तथा जो सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (अब से “सेबी आईसीडीआर विनियम” कहा जाएगा) तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (अब से “सेबी सूचीकरण विनियम” कहा जाएगा) यथासंशोधित के अध्यक्षीन है तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, प्रविष्ट सूचीबद्ध करार के अध्यक्षीन है, बैंक के निदेशक मंडल (अब से “मंडल” कहा जाएगा, जिसमें भारत सरकार (भारत का राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर ₹ 5500 करोड़ (रुपए पांच हजार पांच सौ करोड़ मात्र) की सीमा तक सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित ₹ 96.10 (रुपए छियानवे पैसे दस मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु ₹ 10/- (रुपए दस मात्र) प्रति शेयर के अंकित मूल्य के बैंक के 57,23,20,499 इक्विटी शेयरों की संख्या बनाने, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने हेतु इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित मंडल द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु गठित / या पुनर्गठित की जाने वाली समिति (यां) सम्मिलित की गई मानी जाएंगी, को बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय V के अंतर्गत मंगलवार, 08 जनवरी, 2019 की तिथि, निर्गमित मूल्य निर्धारित करने की ‘सुसंगत तिथि’ होगी।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को यह अधिकार और शक्ति होगी कि वह भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, या शेयर जारी, आबंटन तथा सूचीबद्ध करने के लिए उनके अनुमोदन, सहमतियां, अनुमतियां तथा स्वीकृतियां प्रदान /स्वीकृत करते समय अन्य कोई उपयुक्त प्राधिकारियों तथा मंडल द्वारा यथा-सहमत प्राधिकारियों द्वारा यथापेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार कर सके।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमानी आधार पर जारी तथा आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जाएं तथा ये सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय V के अंतर्गत अपेक्षित लॉक-इन आवश्यकताओं के

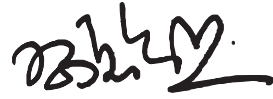
अध्यधीन होंगे और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से एक समान रैंक किए जाएंगे तथा इस प्रकार की घोषणा के समय पर लागू सांविधिक दिशानिर्देशानुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों तथा चीजों को, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित उठने वाले किसी प्रश्न का निस्तारण, कठिनाई या शंका को दूर करने के लिए तथा आगे इस प्रकार के कार्य, विलेख, मामले, विषय तथा चीजें करने के लिए, यथावश्यक, वांछित अथवा समीचीन सभी प्रकार के यथावश्यक दस्तावेजों एवं लेखन जिन्हें शेयरधारकों के आगामी किसी सहमति या अनुमोदन लिए अथवा अंतिम आशय तक प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता के बिना अपने पूर्ण विवेक से जैसा सही, उचित अथवा अपेक्षित समझे को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने इसे अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है, के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैंक के निदेशक मंडल को एतद्वारा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यकारी निदेशक (कों) या बैंक के किसी अन्य अधिकारी को अपनी सभी या किन्हीं प्रदत्त शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स



मुकेश कुमार जैन

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 09.01.2019

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के दौरान किए जाने वाले कारोबार से संबंधित प्रमुख तथ्यों को विश्लेषित करने वाली विवरणी इसके साथ संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर एक प्रॉक्सी को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए, नियुक्त करने लिए भी पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् शनिवार, **02 फरवरी, 2019** को अथवा इससे पूर्व सायं **5.00** बजे (बैंक के कार्य समय) तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

कृपया नोट करें कि कोई भी व्यक्ति जो ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का अधिकारी अथवा कर्मचारी है उसे ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी अथवा निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण आम बैठक में भाग लेने अथवा मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रति, जिसमें यह पारित किया गया है, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् शनिवार, **02 फरवरी, 2019** को अथवा इससे पूर्व सायं **5.00** बजे (बैंक के कार्य समय) तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा कर दी गई हो।

कृपया नोट करें कि कोई भी व्यक्ति जो ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, उसे ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के पास मतदान के लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रयोग करने का विकल्प है। जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है वे असाधारण आम बैठक की तिथि पर बैठक स्थल पर होने वाले मतदान में मतदान कर सकते हैं। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि विवरणों की जांच कर लें, रिक्त स्थान भर लें, इसमें दिए गए स्थान में अपने हस्ताक्षर करें और इसे बैठक के स्थल पर जमा करा दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास में **“प्रॉक्सी”** अथवा **“प्राधिकृत प्रतिनिधि”**, जो भी हो, उल्लेख करना चाहिए। ऐसे प्रवेश पास मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए जमा कर दिए जाएंगे।

5. मतदान अधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के इतर, बैंक का कोई शेयरधारक उसके द्वारा बैंक के समस्त शेयरधारकों के मताधिकारों के **दस प्रतिशत** से अधिक शेयर धारिता के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा। प्रत्येक शेयरधारक, जो बृहस्पतिवार, 31 जनवरी 2019 (रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल पर मतपत्र के द्वारा मतदान करने के शेयरधारकों के मताधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तिथि) को अथवा इससे पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, का उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा **बशर्ते** यह केन्द्र सरकार के इतर **कुल मताधिकार का अधिकतम 10%** होगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो मतदान के लिए, रजिस्टर में पहले स्थान पर नाम वाला व्यक्ति उसका संपूर्ण धारक माना जाएगा।

- **मतदान**

- I. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित के नियम 20 के साथ पठित, सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक सहर्ष अपने सदस्यों को असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में प्रस्तावित संकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है और कारोबार ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ईजीएम से इतर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का प्रयोग करके मतदान ("रिमोट ई-वोटिंग") की सुविधा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- II. मतपत्र के द्वारा मतदान की सुविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में शामिल होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है, मतपत्र के द्वारा बैठक में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
- III. ऐसे सदस्य भी ईजीएम में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है किंतु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 04 फरवरी, 2019 (प्रातः 9.00 बजे) से शुरू होकर 06 फरवरी, 2019 को (सायं 5.00 बजे) (दोनों दिन शामिल) समाप्त होगी। इस अवधि में बैंक के सदस्य, जो अंतिम तिथि यथा 31 जनवरी 2019 को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर मतदान करने के बाद सदस्य को इसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।
- V. एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के "दो चरण" हैं, जो कि निम्न हैं :

पहला चरण: एनएसडीएल ई- वोटिंग प्रणाली में <https://www.evoting.nsdl.com/> पर लॉगिन करें।

दूसरा चरण: एनएसडीएल ई- वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें।

पहले चरण का विवरण निम्नानुसार है:

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर निम्न यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें – <https://www.evoting.nsdl.com/>
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुल जाने पर लॉगिन आइकन, जो 'शेयरधारक' खण्ड में उपलब्ध है, पर क्लिक करें
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड तथा स्क्रीन पर दिखने वाला सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो <https://www.eservices.nsdl.com/> पर अपनी मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ लॉगिन करें। एक बार अपने लॉगिन विवरणों के साथ आपके द्वारा एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉगिन करने पर, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें, पर जा सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी विवरण निम्नानुसार है:

शेयर धारिता का प्रकार अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा मूर्त रूप	आपकी यूजर आईडी है:
क) ऐसे सदस्य जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 वर्णों वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी है आईएन300*** तथा क्लाइंट आईडी 12***** है तब आपकी यूजर आईडी है आईएन 300***12*****
ख) ऐसे सदस्य जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं	16 अंकों की बेनिफिशरी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनिफिशरी आईडी है 12***** तब आपकी यूजर आईडी है 12*****
ग) मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	ईवीईएन संख्या के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या है 001*** तथा ईवीईएन है 101456 तब यूजर आईडी है 101456001***

5. आपके पासवर्ड का विवरण निम्नानुसार है:

- क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप लॉगिन करने एवं मतदान के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली को पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड', जो आपको सूचित किया गया था, को पुनः प्राप्त करना होगा। एक बार आपके द्वारा अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेने पर आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः कैसे प्राप्त करें ?
- यदि आपकी ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपकी ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। अपने मेल बॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूँढ़ें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् .पीडीएफ फाइल को खोलें। .पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी अथवा मूर्त रूप में शेयर रखने पर फोलियो संख्या पासवर्ड है। .पीडीएफ फाइल में 'यूजर आईडी' तथा आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' दिया गया है।
 - यदि आपकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके डाक पते पर आपको भेज दिया जाएगा।

6. यदि आप 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं अथवा यह आपको प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं :

- क) ["Forgot User Details@Password?"](https://www.evoting.nsdl.com/ForgotUserDetails@Password?) पर क्लिक करें (यदि आपके पास शेयर एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।
- ख) ["Physical User Reset Password?"](https://www.evoting.nsdl.com/PhysicalUserResetPassword?) (यदि आपके पास शेयर मूर्त रूप में हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।
- ग) यदि अब भी उपरोक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, अपना पैन संख्या, अपना नाम तथा अपना पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए [evoting.nsdl.com](https://www.evoting.nsdl.com/) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद चेक-बॉक्स में "Agree to Terms and conditions" पर टिक करें।

8. अब आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण 2 के विवरण निम्नानुसार हैं :

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कैसे करें ?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग के होम पेज को देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। उसके पश्चात् एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करने के बाद, आप सभी EVEN कंपनियों को देख पाएंगे जिनके आपके पास शेयर हैं तथा जिनके मतदान साइकिल सक्रिय स्थिति में हैं।
3. उस कंपनी का "EVEN" चयन करें जिसके लिए आप मतदान करना चाहते हैं।
4. जैसे ही वोटिंग पेज खुलता है आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
5. समुचित विकल्प अर्थात् सहमति अथवा असहमति का चयन करके, जितने शेयरों के लिए आप मतदान करना चाहते हैं, उतनी संख्या को सत्यापित/संशोधित करके अपना मतदान करें और "Submit" पर तथा "Confirm", जब दिखाई दे, पर क्लिक करें
6. पुष्टि करने के बाद "Vote cast successfully" संदेश दिखाई देगा।
7. आप किए गए मतदान का पुष्टिकरण पृष्ठ पर उपलब्ध प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं।
8. एक बार संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) को विधिवत् अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं), जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित मण्डल संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट में) evoting@nsdl.co.in को प्रति संबोधित करते हुए संवीक्षक को amitguptacs@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेजनी आवश्यक है।
 2. इस बात की जोरदार संस्तुति की जाती है कि किसी को भी अपना पासवर्ड न बताएं और अपने पासवर्ड को गुप्त रखने का यथासंभव प्रयास करें। सही पासवर्ड खण्ड में पांच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details@Password?" अथवा [Physical User Reset Password?](#) का प्रयोग करना होगा।
 3. किसी प्रकार की शंका होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- VI. सदस्यों के मताधिकार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के समानुपात में होंगे बशर्ते यह अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2019 को केन्द्र सरकार से इतर, समस्त मताधिकारों का अधिकतम दस प्रतिशत होगा।
- VII. कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजने के बाद बैंक के शेयर धारण करता है और बैंक का शेयरधारक बन जाता है तथा अंतिम तिथि अर्थात् 31 जनवरी, 2019 को शेयर धारण करता है तो वह evoting@nsdl.co.in अथवा बैंक के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. को delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- VIII. ऐसे सदस्य भी ईजीएम में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है किंतु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- IX. ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम अंतिम तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा निक्षेपक (डिपॉजिटरी) द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एवं ईजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।
- X. निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतदान एवं रिमोट ई-वोटिंग की संवीक्षा हेतु बैंक के सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए श्री अमित गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सी.पी.सं.4682) को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

- XI. असाधारण आम बैठक में मतदान किए जाने वाले संकल्प पर चर्चा के बाद अध्यक्ष ईजीएम में उपस्थित सभी सदस्यों का, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए अपना मत नहीं दिया है, संवीक्षक की सहायता से 'मतपत्र' द्वारा मतदान की अनुमति देंगे।
- XII. ईजीएम में मतदान की समाप्ति के बाद संवीक्षक पहले बैठक में डाले गए मत की गिनती करेंगे तथा उसके बाद कम-से-कम ऐसे दो गवाहों जो बैंक के कार्मिक नहीं हैं, के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को खोलेंगे तथा ईजीएम की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित अंकेक्षक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा तत्काल मतदान का परिणाम घोषित करेगा।
- XIII. अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम घोषित होते ही अविलंब बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमि. (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमि. (बीएसई) को भी अविलंब अग्रेषित कर दिया जाएगा।

अन्य जानकारी

- क) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यह नोट करें कि सूचना की प्रतियां असाधारण आम बैठक के स्थल पर वितरित नहीं की जाएगी अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उनके पंजीकृत और/अथवा ई-मेल पता पर बैंक द्वारा भेजी गई सूचना की प्रति अथवा उसका सार लेकर आएँ।
- ख) हरित पहल के समर्थन में, बैंक ने उन सभी शेयरधारकों को जिन्होंने सेबी सूचीकरण विनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने निक्षेपागार सहभागियों/रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत की है असाधारण आम बैठक की सूचना की सॉफ्ट प्रति भेजने का निर्णय लिया है।
- ग) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि असाधारण आम बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध होगी ताकि शेयरधारक उसे डाउनलोड कर सकें। ई-संप्रेषण के लिए पंजीकरण करने के बाद भी, यदि शेयरधारक अनुरोध करते हैं तो वे डाक द्वारा ऐसी सूचना की हार्ड प्रति भी निःशुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। किसी भी सूचना के लिए, शेयरधारक बैंक की संबंधित ई-मेल आईडी mbd@obc.co.in पर अथवा डाक द्वारा अनुरोध भेज सकते हैं।
- घ) **शेयरों का अमूर्तिकरण** : ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभी भी मूर्त रूप में है उनसे अनुरोध है कि वे, 01 अप्रैल, 2019 से मूर्त रूप में शेयरों के अंतरण पर रोक लगाने संबंधी सेबी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र अपने शेयर अमूर्तिकृत करा लें।
- ङ) **पता बदलना अथवा ई-मेल आईडी अद्यतित करना** : पता अथवा ई-मेल आईडी बदलने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पते/ई-मेल आईडी में बदलाव की सूचना:
- यदि उनके पास शेयर अमूर्त रूप में है तो अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को दें
 - यदि उनके पास शेयर मूर्त रूप में है तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) यथा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को दें

पत्राचार के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट का पता

मै. लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लिमि.

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी,
सावित्री मार्केट के समीप, जनकपुरी,

नई दिल्ली-110058

टेलीफोन नंबर.: +91-11-41410592/93/94

फैक्स: +91-11-4141 0591

ई-मेल आईडी: delhi@linkintime.co.in

वेबसाइट : www.linkintime.co.in

निवेशक किसी प्रकार की सहायता के लिए नीचे दिए पतों पर बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं :

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कॉरपोरेट कार्यालय – मर्वेंट बैंकिंग प्रभाग

द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 5

सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

दूरभाष नंबर – 0124-4126281/285

ई-मेल : mbd@obc.co.in

वेबसाइट : www.obcindia.co.in

- च) ऐसे शेयरधारक जिनके पास समान नामों के कई फोलियो में या नामों के एक ही क्रम में संयुक्त नाम से मूर्त रूप में शेयर हैं उनसे अनुरोध है कि वे एकल फोलियो में समेकित करने हेतु बैंक के आरटीए को अपने शेयर प्रमाणपत्र भेजें।
- छ) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार स्वरूप कूपन आबंटित नहीं किए जाएंगे।
- ज) सख्त सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम में ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः, बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को परामर्श है कि अपने सामान की सुरक्षा हेतु अपनी व्यवस्था स्वयं करें।

व्याख्यात्मक कथन

प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के निम्न विवरण का प्रकटीकरण सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है:

1. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य:

भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ सं. 7/38 / 2014- बीओए दिनांक 26.12. 2018 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के लिए ₹ 5500.00 करोड़ (रुपए पांच हजार पांच सौ करोड़ मात्र) का निवेश करने के निर्णय की जानकारी दी है। 31.12.2018 को बैंक द्वारा ₹ 5500.00 करोड़ की राशि प्राप्त कर ली गयी है।

निदेशक मंडल ने 08.01.2019 को अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ₹ 5500.00 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के बासेल III के दिशानिर्देशानुसार, 30 सितंबर, 2018 को 7.33% टीयर। (सीईटी 1:7.18%) तथा 3.02% टीयर II के साथ बैंक का सीआरएआर 10.35% था। अधिमानी आबंटन के माध्यम से जुटायी गयी राशि का उपयोग पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाने के लिए किया जाएगा ताकि उपरोक्त बासेल III के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नियामक का अनुपालन किया जा सके।

2. निर्गमित की जाने वाली विशिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या

बैंक, अधिमानी आधार पर भारत सरकार (भारत का राष्ट्रपति) को ₹ 5500.00 करोड़ (पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपये) की सीमा तक, सेबी आईसीडीआर विनियमकों के अनुसार निर्धारित ₹ 96.10 प्रति शेयर (प्रीमियम सहित) के नकद मूल्य हेतु ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य के **57,23,20,499** इक्विटी शेयरों को निर्गमित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

3. प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए जारीकर्ता के प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का इरादा:

चूंकि बैंक में भारत सरकार (GOI) की शेयरधारिता 77.23% है तथा भारत सरकार को प्रस्तावित अधिमानी इश्यू भी दिए जा रहे हैं, भारत सरकार के अतिरिक्त कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी प्रस्ताव को ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है।

4. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू से पूर्व तथा पश्चात शेयरधारिता पैटर्न:

क्र. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या (आबंटन- पूर्व)	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत (आबंटन-पूर्व)	शेयरों की संख्या (आबंटन-पश्चात)	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत (आबंटन-पश्चात)
1.	प्रवर्तक अर्थात भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	488679067	77.23	1060999566	88.04
2.	अन्य शेयर धारक	144088458	22.77	144088458	11.96
3.	कुल (1+2)	632767525	100.00	1205088024	100.00

5. अधिमानी इश्यू की समयावधि, जिसमें इसे पूरा कर लिया जाएगा:

सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 170(1) की अपेक्षानुसार, शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन पूरा किया जाएगा, बशर्ते आबंटन हेतु किसी नियामक प्राधिकरण अथवा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन अथवा अनुमति लम्बित है, तो 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि इस प्रकार के आवेदन पर अथवा अनुमोदन या अनुमति की तिथि को आदेश की तिथि से गिनी जाएगी, जैसा भी मामला हो।

6. अधिमानी इश्यू के परिणामस्वरूप बैंक में, प्रस्तावित आबंटि की पहचान और अधिमानी पूंजी निर्गमन के बाद धारित तथा नियंत्रित परिवर्तन की प्रतिशतता, यदि कोई हो :

प्रस्तावित आबंटि की पहचान	इश्यू से पूर्व इक्विटी शेयरों की संख्या	इश्यू से पूर्व शेयरधारिता का %	अधिमानी आधार पर आबंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	आबंटन के बाद धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	आबंटन के बाद धारित इक्विटी पूंजी का %	आबंटन के बाद वृद्धि का %
भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	488679067	77.23	572320499	1060999566	88.04	10.81

बैंक के मौजूदा प्रवर्तक, अर्थात भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) बैंक पर नियंत्रण जारी रखेंगे और प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू का मूल्यन :

इश्यू मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के अनुसार निर्धारित किया गया है, अर्थात; निम्नलिखित के सर्वोच्च से अधिक के मूल्य पर :

- (क) प्रासंगिक तिथि से छब्बीस सप्ताह के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर प्रदर्शित संबंधित इक्विटी शेयरों के मात्रा भारित औसत मूल्य [वीडब्ल्यूएपी] का साप्ताहिक उच्च एवं न्यून का औसत; अथवा
- (ख) प्रासंगिक तिथि से दो सप्ताह के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर प्रदर्शित संबंधित इक्विटी शेयरों के मात्रा भारित औसत मूल्य [वीडब्ल्यूएपी] का साप्ताहिक उच्च एवं न्यून का औसत।

परिणामी इक्विटी शेयरों का निर्गमन मूल्य निर्धारित करने के लिए "प्रासंगिक तिथि" 08 जनवरी, 2019 होगी।

बैंक के इक्विटी शेयरों को छब्बीस सप्ताह से अधिक के लिए सूचीबद्ध किया गया है एवं तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 164(3) और 167 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

8. चूंकि सभी शेयर भारत सरकार को जारी किए जाने हैं, सेबी आईसीडीआर विनियमों की अनुसूची VI में निर्धारित प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

9. सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणन:

सांविधिक लेखा परीक्षकों से इस आशय का प्रमाण पत्र कि शेयरों का निर्गमन सेबी आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है, असाधारण आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

10. निश्चित अवरुद्धता अवधि:

सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 167 (1) के अनुसार, अधिमानी आधार पर निर्गमित और भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्वीकृत ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवरुद्धता अवधि के अध्यक्षीन होंगे।

बैंक की कुल पूंजी के 20 (बीस) प्रतिशत तक की पूंजी ही ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 3 (तीन) वर्षों के लिए अवरुद्ध अवधि के अध्यक्षीन होगी।

अग्रतर 20 (बीस) प्रतिशत से अधिक आबंटित इक्विटी शेयर, विकल्प को प्रयोग करने के कारण अथवा अन्यथा, जैसा भी मामला हो, ट्रेडिंग के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिए अवरुद्ध अवधि के अध्यक्षीन होंगे।

आबंटियों की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी आबंटित शेयरधारिता, यदि कोई हो, संगत तिथि अर्थात्: 08 जनवरी, 2019 से विशेष संकल्प के अनुसरण में आबंटित शेयरों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुमोदित स्वीकृत ट्रेडिंग तिथि से 6 (छ) माह की अवधि तक अवरुद्ध रहेगी।

11. उपरोक्तानुसार जारी किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों की तुलना में एक समान रैंक किए जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसरण में जारी किए गए शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहां बैंक के मौजूदा शेयर पहले से सूचीबद्ध हैं।
12. भारत सरकार ने प्रासंगिक तिथि से छः माह के दौरान बैंक के कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचे हैं। भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं तथा बैंक, सेबी सूचीकरण विनियमों में यथानिर्धारित इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त का अनुपालन कर रहा है।
13. सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 41(4) के अनुपालन में शेयरधारकों के लिए आवश्यक है कि यदि उन्हें समानुपातिक आधार पर प्रस्तावित न हों तो वे किसी अन्य प्रतिभूति को जारी करने को अनुमोदित करें। चूंकि, प्रस्ताव है कि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार के अतिरिक्त अन्य पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर आबंटित किए जाएं, उपरोक्त संकल्प को पारित किया जाना है। इसके अतिरिक्त सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 160 के अनुसार अधिमानी निर्गम हेतु विशेष संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है।
14. जहां कहीं आवश्यक है, वहाँ बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप इक्विटी शेयरों के मूल्यों की पुनर्गणना का वचन देता है।
15. बैंक वचन देता है कि यदि इन विनियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इक्विटी शेयर आबंटि द्वारा राशि के भुगतान किए जाने तक अवरुद्ध रहेंगे।
16. निदेशक मण्डल नोटिस में दर्शाये गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

कोई भी निदेशक संकल्प में दिये गए प्रस्ताव से किसी भी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

निदेशक मण्डल के आदेश से
ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स हेतु



मुकेश कुमार जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 09.01.2019



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

दिनांक: 07 फरवरी, 2019

समय: प्रातः 10.00 बजे

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयर धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं एतद्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2019 को, पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित बैंक की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
--	--



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

दिनांक: 07 फरवरी, 2019

समय: प्रातः 10.00 बजे

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयर धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक स्थल पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ-साथ बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षरित उपरोक्त उपस्थिति स्लिप प्रस्तुत करें। यद्यपि प्रवेश, सत्यापन/जांच के अधीन होगा, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-एंट्री-पास-सह-मतपत्र-पास मीटिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर जारी नहीं किया जाएगा।



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

(मतपत्र जारी करने के लिए मतदान काउंटर पर जमा करें)

दिनांक: 07 फरवरी, 2019

समय: प्रातः 10.00 बजे

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयर धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

प्रॉक्सी फॉर्म 'बी'

(शेयर धारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	

मैं/हम.....निवासी.....
जिला राज्य ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का शेयरधारक होने के नाते, एतद् द्वारा श्री/श्रीमती
निवासी..... जिला..... राज्य.....
को, अथवा उनकी अनुपस्थिति में, श्री/श्रीमती
निवासी..... जिला..... राज्य.....
को, दिनांक: गुरुवार, 07 फरवरी, 2019 को, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110016 में आयोजित होने वाली, **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में अथवा ऐसी स्थगित बैठक में, मेरी/हमारी ओर से प्रॉक्सी मतदान करने के लिए अधिकृत करते हैं।
दिनांक: 2019 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक / एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

**कृपया रसीदी
टिकट चिपकाएं**

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर एवं इसे प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1.	प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि,
क)	व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
ख)	संयुक्त धारकों के मामले में, सदस्य रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
ग)	किसी कॉरपोरेट निकाय के मामले में, इसकी सामान्य मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा फार्म बी में हो और विधिवत रूप से मुहर लगी हो।
2.	प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिस पर शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर होने चाहिए, जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, तो उसकी संलग्न टिप्पणी तभी वैध होगी जब यह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा उप-रजिस्ट्रार बीमा अथवा अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स या अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
3.	प्रॉक्सी के साथ
क)	मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया अथवा
ख)	नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति असाधारण आम बैठक की तारीख से अधिकतम चार दिन से पहले अर्थात् शनिवार, 02 फरवरी, 2019 को बैंक के कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं: 5:00 बजे तक या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय, अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4.	कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फॉर्म 'बी' में न हो और उस पर विधिवत मुहर न लगी हो।
5.	बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिहस्तांतरणीय एवं अंतिम होगी।
6.	यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7.	शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने हेतु अधिकृत नहीं होगा, जिस बैठक से ऐसा लिखत संबंधित है।
8.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
9.	प्रॉक्सी फार्म में किसी भी प्रकार के संशोधन को विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाए।



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E - Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE will be held on **Thursday, the 7th February 2019 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016**, to transact the following business:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following as Special Resolution: -

“RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as “the Act”), read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as “the Scheme”), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as “OBC Regulations”), including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the “SEBI ICDR Regulations”) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) as amended and subject to the Listing Agreements as entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the “Board”, which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted / or may be re-constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution, to create, offer, issue and allot **57,23,20,499** Equity Shares of the Bank of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at an Issue price (including premium) of **₹96.10** (Rupees Ninety Six and paise Ten only) per Equity Share as determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating upto ₹ 5500.00 crore (Rupees Five Thousand Five Hundred Crore only) on preferential basis to Government of India (President of India).

“RESOLVED FURTHER THAT the ‘Relevant Date’ for determination of Issue Price in terms of Chapter V of SEBI ICDR Regulations is **Tuesday, 08th January 2019.”**

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board”.

“RESOLVED FURTHER THAT the said Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration and shall be listed on Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to delegate all or any of its powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other Officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors
For ORIENTAL BANK OF COMMERCE



Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

Place: Gurugram
Date: 09.01.2019

NOTES:

1. Explanatory Statement

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business to be transacted at the meeting is annexed hereto.

2. Appointment of Proxy

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting. The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at Head Office or Corporate Office of the Bank, **not less than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Saturday, 02nd February 2019.

Please note that no person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of the Bank as per the provisions of OBC Regulations.

3. Appointment of an Authorised Representative

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed has been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, **not less than FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Saturday, 02nd February 2019.

Please note that no person shall be appointed as an authorised representative who is an officer or an employee of the Bank as per the provisions of OBC Regulations.

4. Attendance Slip - Cum - Entry Pass-Cum Ballot Paper Pass

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum- Ballot Paper pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives of Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their votes at voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of EGM. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details and fill in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy holders / Authorized Representatives of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum- ballot paper pass as **“Proxy”** or **“Authorized Representative”** as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain ballot paper at the time of Poll.

5. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent** of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. Each shareholder who has been registered as a shareholder on or before Thursday, 31st January 2019 (cut-off date for determining the voting rights of the shareholders both for remote e-voting and voting by ballot paper at the venue of the Meeting) shall have one vote for each share held by him **subject to maximum of 10% of the total voting rights** other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

◆ Voting

- I. In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide its members, facility to

exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the Extraordinary General Meeting (EGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

- II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the meeting *who have not cast their vote by remote e-voting* shall be able to exercise their right to vote at the meeting through Ballot Paper.
- III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The remote e-voting period commences on 04th February, 2019 (9:00 a.m.) and ends on 06th February, 2019 (5:00 p.m.) (both days inclusive). During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 31st January, 2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- V. The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 are mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
 - i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com
 - b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 are given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of Bank.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to amitguptacs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go

through the “[Forgot User Details/Password?](#)” or “[Physical User Reset Password?](#)” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in
- VI. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank **subject to maximum of 10% of total voting rights other than Central Government** as on the cut-off date of **31st January 2019**.
- VII. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. **31st January 2019**, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to Bank’s Registrar, Link Intime India Pvt. Ltd. at delhi@linkintime.co.in.
- VIII. A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
- IX. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through Ballot Paper.
- X. Mr. Amit Gupta, Practicing Company Secretary (C.P. No. 4682) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the remote e-voting and voting at the meeting in a fair and transparent manner.
- XI. The Chairman shall at the EGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of Scrutinizer, by use of “Ballot Paper” for all those members who are present at the EGM and have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- XII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make not later than 48 hours of the conclusion of the EGM, a consolidated Scrutinizer’s Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- XIII. The Results along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the NSE and BSE.

Other information

- a) Shareholders are requested to note that copies of the Notice will not be distributed at the venue of the Extraordinary General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Notice or extract thereof, mailed by the Bank to them at their registered addresses and/or e-mail addresses.
- b) In support of the green initiative, the Bank has decided to send soft copies of the Notice of Extraordinary General Meeting to all the shareholders who have registered their e-mail ids with their Depository Participant/Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, as per the provisions of SEBI Listing Regulations.
- c) Shareholders may note that the Notice of the Extraordinary General Meeting will also be available on the Bank’s website www.obcindia.co.in for their download. Even after registering for e-communication, Shareholders are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Bank’s dedicated e-mail ID -: mbd@obc.co.in or by post.
- d) **Dematerialization of Shares:** Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest in view of SEBI Guidelines restricting transfer of shares in physical form w.e.f. 01st April, 2019.

- e) **Change of address or updation of e-mail ID:** For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to:
- Their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and
 - Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.

Address of Registrar and Share Transfer Agent:

M/s Link Intime India Pvt. Ltd

Noble heights, 1st floor, Plot NH-2, C-1 Block LSC,

Near Savitri Market, Janakpuri,

New Delhi - 110058

Phone Nos.: +91-11-41410592|93|94

Fax: +91-11-41410591

Email Id: delhi@linkintime.co.in

Website: www.linkintime.co.in

Investors may also contact the Bank at the under mentioned address for any assistance:

Oriental Bank of Commerce

Corporate Office - Merchant Banking Division,

Second Floor, Plot No.5,

Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

Phone Nos. 0124-4126281/285

E mail: mbd@obc.co.in

Website: www.obcindia.co.in

- f) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Bank's RTA for consolidation into single folio.
- g) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- h) Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.

Explanatory Statement

The **following** details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI (ICDR Regulations):

1. The Objects of the proposed Preferential Issue:

The Government of India has through letter no.F.No.7/38/2014-BOA dated 26.12.2018 conveyed its decision to invest ₹ 5500.00 crore (Rupees Five Thousand Five Hundred crore only) towards preferential allotment of equity shares of the Bank during FY 2018-19. The amount of ₹5500.00 crore has been received by the Bank on 31.12.2018.

The Board of Directors have approved the proposal of issuing equity shares aggregating upto ₹5500.00 crore to Government of India on preferential basis on 08.01.2019.

As per RBI's Basel III Guidelines, the Bank's CRAR as on 30th September 2018 was 10.35% with Tier I at 7.33% (CET1: 7.18%) and Tier II at 3.02%. The amount raised through the Preferential Allotment would be utilized to shore up the Capital Adequacy Ratio so as to comply with the regulatory minimum capital requirements prescribed in the aforesaid Basel III Guidelines.

2. The maximum number of specified securities to be issued

The Bank proposes to issue **57,23,20,499** equity shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at a price of ₹96.10 per share (including premium) determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating upto ₹5500.00 crore (Rupees Five Thousand Five Hundred only) to Government of India (President of India) on preferential basis.

3. Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the Offer:

Since, the Govt. of India (GOI) shareholding in the Bank is 77.23% and the proposed preferential issue is also to be made to the GOI, none of the Directors or Key Managerial Personnel have intent to subscribe to the offer except GOI.

4. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Issue:

Sr. No.	Category	No. of shares (Pre-allotment)	Percentage of Paid-up Capital (Pre-allotment)	No. of shares (Post-allotment)	Percentage of Paid-up Capital (Post-allotment)
1.	Promoter i.e. Government of India (President of India)	488679067	77.23	1060999566	88.04
2.	Other Share- holders	144088458	22.77	144088458	11.96
3.	Total (1+2)	632767525	100.00	1205088024	100.00

5. The time frame within which the preferential issue shall be completed:

In accordance with the requirements of Regulation 170 (1) of SEBI ICDR Regulations, the allotment shall be made within 15 days from the date of the passing of the resolution by the shareholders, provided that any approval or permission by any Regulatory Authority or the Central Government for allotment is pending, the period of 15 days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

6. The identity of the Proposed Allottee and the percentage of post Preferential Issued capital that may be held by them and change in control, if any, in the Bank consequent to the preferential issue :

Identity of the Proposed Allottee	No of Equity Shares before the Issue	% of shareholding prior to the Issue	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Number of Equity shares held post allotment	% of Equity Capital held Post allotment	Incremental % post allotment
Government of India (President of India)	488679067	77.23	572320499	1060999566	88.04	10.81

The existing promoter of the Bank i.e. Government of India (the President of India) will continue to vest control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

7. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with Chapter V of the SEBI ICDR Regulations i.e. at a price not less than higher of the following:

- The average of the weekly high and low of the volume weighted average price [VWAP] of the related equity shares quoted on the recognised stock exchange during the twenty six weeks preceding the relevant date; **or**
- The average of the weekly high and low of the volume weighted average prices [VWAP] of the related equity shares quoted on a recognised stock exchange during the two weeks preceding the relevant date.

The “Relevant Date” for determining the Issue Price of the resultant equity shares shall be 08th January 2019.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 164 (3) and 167 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

8. As all the shares are to be issued to GOI the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI ICDR Regulations are not applicable.

9. **Certification from Statutory Auditors:**

A Certificate from the Statutory Auditors certifying that the issue of shares is being made in accordance with the requirements of ICDR Regulations shall be tabled at the Extraordinary General Meeting.

10. **Lock-in period:**

As per Regulation 167 (1) of SEBI ICDR Regulations, the new equity shares proposed to be issued and allotted to the GOI on preferential basis shall be subject to a lock-in period of three years from the date of trading approval granted by the Stock Exchanges.

Provided that not more than 20 (twenty) per cent of the total capital of the Bank shall be locked-in for 3 (three) years from the date of trading approval.

Provided further that Equity Shares allotted in excess of the 20 (twenty) per cent shall be locked-in for one year from the date of trading approval pursuant to exercise of options or otherwise, as the case may be.

The entire pre-preferential allotment shareholding of the allottees, if any, shall be locked-in from the relevant date i.e. 08th January 2019 up to a period of 6 (six) months from the date of trading approval granted by the Stock Exchanges to the shares allotted pursuant to the special resolution.

11. The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the Stock Exchanges where the existing shares of the Bank are already listed.

12. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the SEBI Listing Regulations.

13. Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security, if not offered to them on proportionate basis. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, the passing of special resolution is also a requisite for Preferential Issue in terms of Regulation 160 of SEBI ICDR Regulations.

14. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of the SEBI ICDR Regulations where it is required to do.

15. The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the equity shares shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.

16. The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors is in any way, concerned or interested in the proposal contained in the Resolution.

By order of the Board of Directors
for **ORIENTAL BANK OF COMMERCE**



Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

Place: Gurugram
Date: 09.01.2019



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E - Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date: February 07th 2019

Time: 10.00 a.m.

Place: New Delhi

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(if shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder (in BLOCK LETTERS)	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	

I hereby record my presence at the Extra-ordinary General Meeting of the Bank held on February 07th 2019 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	
--	--



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E - Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date: February 07th 2019

Time: 10.00 a.m.

Place: New Delhi

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(if shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder(in BLOCK LETTERS)	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present	

Shareholders/proxy holders /authorized representatives are requested to produce the above Attendance Slip-cum-Entry Pass, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass-Cum-Ballot Paper Pass would be issued at the entrance to the meeting hall.



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E - Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Date: February 07th 2019

Time: 10.00 a.m.

Place: New Delhi

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(if shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder (in BLOCK LETTERS)	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present	



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E - Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

PROXY FORM 'B'

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.		DP ID	
If shares are not dematerialized		Client ID	
	If shares are dematerialized		

I/We, ... resident/s of in the district of in the State of being a shareholder/shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri/Smt. resident of in the district of in the State of or failing him/her, Shri/Smt. resident of in the district of in the State of as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Thursday, February 07th 2019 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016 and at any adjournment there of. Signed this day of 2019.

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/soleholder

Name:

Address:

**Please affix
Revenue Stamp**

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1.	No instrument of proxy shall be valid unless,
a)	in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
b)	in the case of joint holders, it shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
c)	in the case of a body corporate, signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing and shall be in the Form B and duly stamped.
2.	An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his /her remark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce or any other Nationalised Bank.
3.	The proxy together with
a.	the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
b.	a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m. of Saturday, 02 nd February 2019.
4.	No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B and duly stamped.
5.	An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6.	In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7.	The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extra-ordinary General meeting to which such instrument relates.
8.	No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.
9.	All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.
